बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

E-Mail संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–23/2025...7370... पटना, दिनांक 05/12/2025

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 6239 दिनांक 03.09.2025 के विरुद्ध अपीलार्थी श्री उत्कर्ष कुमार (Emp. ID No.- AEN02759), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम–8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :–

बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि उक्त जिला में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मी अपने अनुचित मांगो को लेकर हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल विशेष सर्वेक्षण कर्मियों में अपीलार्थी का नाम भी प्रतिवेदित किया गया था।

हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल संविदा कर्मियों से निदेशालय द्वारा दिनांक 30.08.2025 तक कर्त्तव्य पर वापस लौटने की अपील समाचार पत्रों एवं निदेशालय वेबसाईट के माध्यम से किया गया। कर्त्तव्य पर नहीं लौटने की स्थिति में पुनः अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 03.09.2025 तक कर्त्तव्य पर वापस लौटने की अपील की गयी। इसके बावजूद भी अपीलार्थी हड़ताल से वापस नहीं लौटे।

हड़ताल से वापस नहीं लौटने की स्थिति में संविदा नियोजन हेतु निर्गत सुसंगत नियमों के विपरित कार्य करना, वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवेहलना, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानापन बरतने के आरोप में अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि इनके द्वारा इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। मात्र संघ के बहकावे में आकर हड़ताल में शामिल हो गये थे, जिसके लिए क्षमा याचना की गयी। साथ ही अपीलार्थी द्वारा लिखित वचन (Undertaking) दिया गया है कि भविष्य में ये किसी भी हड़ताल/धरना प्रदर्शन एवं सरकार विरोधी इत्यादि कार्य में संलिप्त नहीं रहेंगे।

उभय पक्षो को सुनने, अभिलेख तथा संचिका में रक्षित साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के संविदा समाप्ति आदेश पर पुर्नविचार किया गया तथा अपीलार्थी श्री उत्कर्ष कुमार (Emp. ID No.- AEN02759), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिखित वचन (Undertaking) के आलोक में No Work No Pay के आधार पर बंदोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से इन्हें पुर्ननियोजित करने का आदेश दिया जाता है।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा निर्गत आदेश संख्या–6239 दिनांक 03.09.2025 को निरस्त किया जाता है।

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–23/2025....7310 पटना, दिनांक :–05/12/2025

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/2025

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–23/2025...7310 **पटना, दिनांक** :–05/12/2025

प्रतिलिपि :– श्री उत्कर्ष कुमार (Emp. ID No.- AEN02759), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

05/12/25

सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–23/2025...7310 **पटना, दिनांक** :–05/12/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/12/25

सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–23/2025...7310 **पटना, दिनांक** :–05/12/2025

प्रतिलिपि :– प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/12/25

सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप